तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मु.नं. 126/2021
27/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 धनारी कला में प्रस्तुत हुई। इस न्यायालय के प्रार्थना-पत्र संख्या 35/2021 अन्तर्गत आदेश 09 R4 CPC निर्णय दिनांक 27/10/2021 के सन्दर्भ में यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 क RT Act रेस्टोर किया जाकर पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम धनारी कला तहसील बावड़ी के ख.न. 186/4 रकबा 26.07 बीघा प्रार्थी की भूमि आयी हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ख.न. 186/3 में से प्रार्थना-पत्र में दर्शाये अनुसार मार्क A से B 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने की मांग की गई। भू.अ. निरीक्षक नांदिया खुर्द से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल अनुसार मौका रिपोर्ट में ग्राम धनारी कला के ख.नं. 186/4 में वर्तमान में रास्ता मौजूद नहीं है। मार्क A से B ख.नं. 186/3 में से चिह्नित रास्ते को प्रार्थी के खेत में आने-जाने हेतु निकटतम एवं लघुतम बताया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस सुनने एव विश्लेषण उपरान्त प्रार्थी को

[signature]

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपने खातेदारी खेत में आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 186/3, ग्राम धनारी कला में से मौका रिपोर्ट दिनांक 18/06/2020 में मार्क A से B तक प्रस्तावित रास्ता जिसकी चौड़ाई 6 मीटर एवं क्षेत्रफल 936 वर्गमीटर है। निकटतम एवं लघुत्तम है उक्त प्रस्तावित रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थी अप्रार्थीगण को नियमानुसार राशि का भुगतान करेंगे। अतः प्रार्थी को ग्राम धनारी कला के ख.नं. 186/3 में प्रस्तावित रास्ता मार्क A से B तक दिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 क RT Act स्वीकार योग्य है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 क RT Act स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धनारी कला के प्रार्थी अपने खातेदारी खेत ख.नं. 186/4 में आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण के ग्राम धनारी कला के खसरा नं. 186/3 रकबा 52.16 बीघा में से मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2020 में दर्शायानुसार मार्क A से B जिसका क्षेत्रफल 936 वर्गमीटर अर्थात 11 बिस्वा 11 बिस्वांसी है। रास्ता की चौड़ाई 6 मीटर है।	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रास्ता अनुज्ञात किया जाता है। इस्त अनुज्ञात किये गये ।। बिस्वा ।। बिस्वांसी रास्ते का भुगतान प्रार्थी DLC दर की दोगुनी राशि अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार करेगा। प्रार्थी भुगतान राशि तहसील कार्यालय बावड़ी में जमा करायेगा। राशि जमा होने पर तहसीलदार बावड़ी अनुज्ञात किये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद कर नक्शे में तरमीम करेंगे। तथा प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करावेंगे। मौका नक्शा दिनांक 18.06.2020 इस निर्णय का भाग रहेगी। पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय कैम्प कोर्ट धनारी कला में अजलास आम सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी